

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के ध्वस्तीकरण आदेश)

पत्रांक 304 /

वाद संख्या सी-1172/एस-11/2023

दिनांक: 22/12/23

श्री राजेन्द्र,

शिवालिक हॉस्पिटल के पीछे,

बंसीवाला चकराता रोड, देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर प्राधिकरण से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये स्थल पर लगभग 05-06 बीघा के क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग हेतु भूखण्ड डिमार्केशन का कार्य करने के कारण उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या सी-1172/एस-11/2023 योजित किया गया।

उपरोक्त वाद में दिनांक 21.11.2023 को धारा 27(1) एवं 28(1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत आपको कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया जो कि आपके पते पर दिनांक 22.11.2023 को तामील कराया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको सूचित कराया गया था कि आप द्वारा उक्त स्थल पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये स्थल पर लगभग 05-06 बीघा के क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग हेतु भूखण्ड डिमार्केशन का कार्य किये जाने में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 29.11.23, 20.12.23 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहें। विपक्षी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर दाखिल नहीं किये गये, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध प्लाटिंग की गयी है। उक्त वाद को लम्बित रखना न्यायहित में उचित नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि आपके द्वारा जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है।

अतः उक्त परिस्थितियों में तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन उपरांत आपके बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के उपरोक्त स्थल पर अवैध प्लाटिंग किये जाने के विरुद्ध ध्वस्तीकरण के आदेश पारित करने का एकमात्र विकल्प ही शेष रह जाता है।

-:आदेश:-

अतः विपक्षी श्री राजेन्द्र, शिवालिक हॉस्पिटल के पीछे, बंसीवाला चकराता रोड, देहरादून, द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। स्थल पर प्राधिकरण से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये स्थल पर लगभग 05-06 बीघा के क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग हेतु भूखण्ड डिमार्केशन का कार्य किये जाने पर अवैध प्लाटिंग करने के कारण उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अवैध प्लाटिंग विकास करने पर ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये जाते हैं।

उक्त अवैध प्लाटिंग को दिनांक 29.12.2023 को ध्वस्त किया जाना है। जिसमें होने वाला समस्त व्यय विपक्षी से भूराजस्व बकाया के रूप में वसूल लिया जायेगा। तदनुसार सूचित हों।

निशान

संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

20/12/23
20/12